रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 923] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2015/वैशाख 15, 1937
No. 923] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2015 /VAISAKHA 15, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2015

का.आ.1181(अ).– स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खण्ड (viiiक) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, औषधिक और वैज्ञानिक प्रयोग के लिए निम्नलिखित स्वापक औषधियों को आवश्यक स्वापक औषधि के रूप में अधिसूचित करती है, यथा:-

(1) मेथाइल मार्फीन (सामान्यतया जिसे 'कोडीन' के नाम से जाना जाता है) और इथाइल मार्फीन और उनके लवण (डायोनाइन समेत), सभी तनु (डाइल्यूशन्स) और उत्पाद, उनको छोड़कर जिसमें एक या एक से अधिक अन्य अवयवों का संयोग है और जिनमें प्रति खुराक में यह औषधि 100 मिलीग्राम से अधिक न हो और अप्रथक उत्पाद में 2.5 प्रतिशत से अधिक सांद्रता न हो और जिनका चिकित्सा कार्य में प्रयोग हो रहा हो;

(2) 1-फैनथाईल-4-एन- प्रोपियोनाइलानीलिनो-पाइपरीडाइन (जिसका इंटरनेशनल–नान- प्रोपाइटरी नाम फेन्टानाइल है) और इसके लवण तथा उत्पाद, मिश्रण, निष्कर्ष और अन्य पदार्थ जिसमें यह औषधि मिली हुई हो;

(3) डाईहाइड्रोकोडीनोन (जिसे सामान्यतया हाइड्रोकोडोन के नाम से जाना जाता है) इसके लवण (जैसे कि डाइकोडाइड, कोडीनोवो, डाइकोनोन, हाइकोडान, मल्टाकोडीन, नायोडाइड, वाईडोर्स्ड, और इसी तरह के) तथा लवण इसके ईस्टर और ईस्टरों के लवण और उत्पाद, मिश्रण, निष्कर्ष और अन्य पदार्थ जिनमें इनमें से कोई भी औषधि मौजूद हो;

(4) 4:4 – डाइफनाइल-6- डाईमेथाइल अमीनों – हेप्टानोन -3(अन्यथा जिसे 6-डाईमिथाईल एमिनो 4:4 डाईफिनाईल -3- हेप्टानोन और मेथाडोन के नाम से जाना जाता है) इसके लवण जैसे कि (एडनान, एल्गोलीसिन, एमीडोन, एमडोसन, बूटाल्जिन, डेप्रीडोल, डायमिनान, डायनान, डोलाफिन, डोलामिड, डोल्पाइन, डोरिक्साल, हेप्टाडाल, हैप्लानाल, होएस्ट, 10820, डेटाल्जिम, मेकोडीन, मिपेक्शन, मेफेनान, मियाडोन, मोहप्टाल, फीजेप्टोन, सीसोपेप्टोन, पोलामिडोन, सीमोरान, टूर्नानोन, और इसी तरह के) तथा इसके उत्पाद, निष्कर्ष और अन्य पदार्थ जिनमें इनमें से कोई भी औषधि मौजूद हो;

(5) मार्फीन और इसके लवण और ऐसे सभी उत्पाद जिसमें मार्फीन 0.2 प्रतिशत से अधिक हो;

1991 GI/2015

(6) डिहाइड्राक्सी कोडीनोन (जिसे सामान्यतया आक्सीकोडोन और डिहाइड्राक्सीकोडीनोन के नाम से जाना जाता है), इसके लवण (जैसे कि यूकोडाल, बोंकोडाल, डीनार्कान हाइड्रोलाडीन, न्यूकोडान, पर्कोडान, स्कोफेडाल, टीबोडाल, और इसी तरह के) इसके ईस्टर और इसके ईस्टरों के लवण और उत्पाद, मिश्रण, निष्कर्ष तथा अन्य पदार्थ जिसमें यह औषधि मौजूद हो।

[फा.सं. एन-11011/1/2014-एनसी-II (2)]

सत्य नारायण दास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2015

S.O.1181(E).—In exercise of the powers conferred by clause (viiia) of Section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby notifies for medical and scientific use, the following narcotic drugs to be essential narcotic drugs, namely:-

(1) Methyl morphine (commonly known as 'Codeine') and Ethyl morphine and their salts (including Dionine), all dilutions and preparations except those which are compounded with one or more other ingredients and containing not more than 100 milligrammes of the drug per dosage unit and with a concentration of not more than 2.5 % in undivided preparations and which have been established in therapeutic practice;

(2) 1-phenethyl-4-N - propionylanilino-piperidine (the international-non-proprietary name of which is Fentanyl) and its salts and preparations, admixtures, extracts or other substances containing any of these drugs;

(3) Dihydrocodeinone (commonly known as Hydrocodone), its salts (such as Dicodide, Codinovo, Diconone, Hycodan, Multacodin, Nyodide, Ydroced and the like) and its esters and salts of its esters, and preparations, admixtures, extracts or other substances containing any of these drugs;

(4) 4:4-diphenyl-6-dimethylamino-heptanone-3 (otherwise known as 6-dimethyl amino 4 : 4-diphenyl-3-heptanone and as Methadone) and its salts such as (Adanon, Algolysin, Amidone, Amdosan, Butalgin, Depridol, Diaminon, Dianone, Dolafin, Dolamid, Dolphine, Doriexol, Heptadol, Heptanal, Hoechst, 10820, Detalgine, Mecodin, Mepection, Mephenon, Miadone, Moheptal, Physeptone, Psysopeptone, Polamidon, Simoron, Turnanon and the like) and preparations, admixtures, extracts or other substances containing any of these drugs;

(5) Morphine and its salts and all preparations containing more than 0.2 per cent. of Morphine;

(6) Dihydroxy Codeinone (commonly known as 'Oxy-codone and Dihydroxycodeinone), its salts (such as Eucodal, Boncodal, Dinarcon, Hydrolaudin, Nucodan, Percodan, Scophedal, Tebodol and the like), its esters and the salts of its esters and preparations, admixtures, extracts or other substances containing any of these drugs.

[F. No. N-11011/1/2014-NC-II (2)]

SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.